छब्बीस-२ सचिवालय

विषय

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005— श्री गुद्दीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना।

---00---

- पंजी 1645/2015/दो/सी-1 दिनांक 27.03.2015
- 2. पंजी 1986/2015/दो/सी-1 दिनांक 17.03.2015

---00---

विचाराधीन पत्रों का कृपया अवलोकन करें।

#### विचाराधीन पत्र-1

सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र दिनांक 24.03.2015 द्वारा श्री गुद्दीलाल विश्वकर्मा, संचालक, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना विरुद्ध मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में गोविन्द द्विवेदी एवं एस.के.शर्मा, अधिवक्ता सिविल कोर्ट सतना ने एडीजी के पत्र दिनांक 26.11.2014 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसी के लायसेंस बाबत् आवेदन पत्र में अनुशंसा नहीं किये जाने के कारण आवेदन पत्र अमान्य किया गया है।

#### विचाराधीन पत्र-2

श्री गुद्दीलाल विश्वकर्मा,संचालक, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना से प्राप्त अपील दिनांक 27.3.2015 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

उपरोक्त अपील नियंत्रण प्राधिकारी अति. पुलिस महानिदेशक (राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेंसी), भोपाल के आदेश दिनांक 26.11.2015 द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसी के लायसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य किये जाने से दुखित एवं असंतुष्ट होकर उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है। का विभाग

p 1-5/c

p 6-13/c

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005- श्री गुद्दीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना।

-00---

पूर्व पृष्ठ से -

यदि मान्य हो तो सा.प्र.वि. से प्राप्त पत्र तथा अपील की छायाप्रति अति. पुलिस महानिदेशक, (राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेंसी), भोपाल, नियंत्रण प्राधिकारी को भेजकर विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।

तदानुसार भेजें जाने हेतु पत्र का प्रारूप मय स्वच्छ प्रतियों के अनुमोदनार्थ / हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

37.01.

D) ADATURATE SOLEX

29/5/5-2015 Mkm 29/5/5-2015 29/5/5-

जावक ७० २.६.१.६ ..... |वी-1 |पृद् 100 -- 02 106 CS का विभाग

शाकेमभी-249-3निशाकेमभी-17-7-14-5,00,000

विषय:

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005- श्री गुद्दीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना।

हारा में जी कुष्मेख -2886 रिमांड 9-6-15 पूर्व पृष्ठ से :-

विचाराधीन पत्र विभागीय पत्र दिनांक 04.06.2015 के संदर्भ में कृपया अवलोकन हों।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा ने विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस की अपील दिनांक 27.08.2015 वा बिन्द्वार अभिमत निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है :-

- अपीलार्थी द्वारा सहायक श्रमायुक्त कार्यालय से अनुज्ञप्ति दिनांक 23.01.1988 प्राप्त कर सिक्युरिटी सर्विस का संचालन किया जा रहा था। निजी सुरक्षा एजेंसी के कारोबार करने के लिये निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रक अधिकारी से लायसेंस प्राप्त किया जाना आवश्यक है। निजी स्रक्षा एजेंसी का संचालन किया जाना अवैधानिक कृत्य है। जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा अवैध रूप से एजेंसी का संचालन किया जा रहा था।
- अपीलार्थी का यह तर्क मान्य योग्य नहीं है, म०प्र० दुकान एवं स्थापना अधिनियम के पंजीयन एवं इन्कम टैक्स, बीमा आदि की औपचारिकता के आधार पर वह सुरक्षा एजेंसी का संचालन कर सकता है, यह तर्क आधारहीन एवं विधि अनुकूल नहीं है।
- 3. ' अपीलार्थी ने निर्धारित फीस के साथ आवेदन प्रस्तृत किया गया था, परन्तु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने मात्र से एजेंसी के कारोबार की पात्रता नहीं बनती है। अधिनियम 2005 के तहत पुलिस अधीक्षक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक, सतना से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने के कारण अपीलार्थी का आवेदन पत्र अमान्य किया गया है।
- पुलिस अधीक्षक, सतना से अनुशंसा नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी का प्रकरण अधोहस्ताक्षरी द्वारा अमान्य किया जाकर आवेदक को सूचित किया गया था। अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधान

का विभाग

P-15-18/2

. 0

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एंजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005— श्री गुद्दीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना।

का विभाग

---00---

पूर्व पृष्ठ से :-

अनुसार नियंत्रक अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध सचिव, गृह को अपील की जा सकती है। इस कारण अपीलार्थी के वकील द्वारा दिये गये कानूनी नोटिस पर कार्यवाही नहीं की गयी। आवेदक के आवेदन पत्र पर पुनीविचार आवेदन पत्र दिनांक 29.12.2014 पर कार्यवाही की जाना आवश्यक नहीं था। अपीलार्थी द्वारा लगातार अवैध रूप से निजी सुरक्षा एजेंसी का संचालन किया जा रहा था। उक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु पुलिस अधीक्षक, सतना को पत्र दिनांक 11.12.2014 द्वारा वैधानिक कार्यवाही किये जाने का लेख किया गया। जांच उपरांत अपीलार्थी के विरुद्ध थाना कोलगवां में इश्तगासा कमांक 572 धारा 4/20 निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 के तहत तैयार किया जाकर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सतना के समक्ष दिनांक 10.03.2015 को प्रस्तुत किया गया।

- 5. अपीलार्थी का यह तर्क आधारहीन है कि उनका आवेदन पत्र अमान्य किये जाने का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत एवं दुर्भावनापूर्ण है। चूंकि अपीलार्थी ने स्वयं बिन्दु कमांक-1 में स्वीकार किया है कि बिना लायसेंस प्राप्त किये एजेंसी का संचालन कर रहा है।
- 6. अपीलार्थी का यह तर्क आधारहीन एवं बेबुनियाद है। अपीलार्थी के उक्त तर्क से स्पष्ट होता है कि वह किसी प्रकार के नियम/प्रकिया को समझना नहीं चाहता है एवं मनमाने तरीके से एजेंसी का संचालन करना चाहता है। उसके द्वारा अवैध रूप से एजेंसी के. संचालन किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस

P.11/c

P-15/C

P-16/C

का विभाग

विषय:

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005- श्री गुद्दीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना।

पूर्व पृष्ठ से :-

अधीक्षक द्वारा विधिवत जांच के बाद इस्तगासा प्रस्तुत किया गया जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं विधि सम्मत है, इसमें अपीलार्थी को प्रताङ्गित किये जाने का तथ्य निराधार है।

अवलोकनार्थ / आदेशार्थ प्रस्तुत ।

108-15

28 /8/15 at 13:30 has

2 18 15

नामचंशनी

आर 1986 / 2015 / दो / सी-1 विषय: अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस का विभाग (रेग्युलेशन) एक्ट 2005- श्री गुद्दीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना। --00--पूर्व पृष्ठ से :--प्रमुत है। सुनवार में उपस्थित 34 12.4 ( ) 28/8/15- विश्वकमी THEIRIAL 28-8-15 शाकेमुभी-135-उनिशाकेमुभी-19-6-15-20,000.

का विभाग

विषय :

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005- श्री गुद्दीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्य्रिटी

सर्विस, सतना।

पूर्व पृष्ठ से

अपील आदेश का प्राराप अनुभोदनाच मस्तृत है।

9Rm 30/11/15

JRm 15/12

31.91 ·

Schotury

500

28/27

उपरोक्तान्यार अभील अगेड्बर की-

290 YTAZI ERNIO YZ-BA

अप सम्बद Allya (A)

30-11-2015

10/12/15

app &

Lune 11-12-15

15-12-15

16-12-15 Destriction

- GHIY/15/15 M-1 (00) Harrist 17-12/2015

17-12-15

15/12

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005- श्री गुद्दीलाल विश्वकर्मा, का विभाग विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना। (रिट पिटी. क. 579 / 2016 वि० शासन)

-00-

पूर्व पृष्ठ से :-

पंजी क.1185/2016/दो/सी-एक्स दिनांक 29.02.2016

--00--

विशेष पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेंसी से प्राप्त टीप दिनांक 27.02.2016 का कृपया अवलोकन करें।

श्री गुद्दीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना द्वारा रिट पिटी. क. 579/2016 वि० शासन माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की गयी है।

उपरोक्त याचिका क. 579/2016 में विशेष पुलिस १- 3२-119 महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा वल एवं निजी सुरक्षा एजेंसी, भोपाल ने आदेश दिनांक 27.02.2016 द्वारा प्रकरण में ट्वास व श्री रामबाबू पाठक, उप पुलिस अधीक्षक, (राज्य औद्योगिक स्रक्षा बल) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर प्रतिरक्षण आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

अतः याचिका क. 579/2016 में प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेत् नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

310310

### आर 1986/2015/दो/सी-1

0

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005— श्री गुद्दीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना। (रिट पिटी. क. 579/2016 वि० शासन)

का विभाग

मूर्व प्रथा पर मिर्वामा सार

प्रभारी अधिकाशिकी भी मियुमित अधिका भी श्वक प्रतियां अगुभीद्वार्थ / हर-वाव

31.31

जारी पूर्व द्वामा 5-3-16

-3-16

3460 649

So.

5-3-16

5-3-2016

य रामच्यानी

THE N. 1162-63 M-1

#### आर 1986 / 2015 / दो / सी-1

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005- श्री गुद्दीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्युरिटी सर्विस, सतना। (रिट पिटी. क. 579 / 2016 वि० शासन)

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से :--

यगरण में प्रभारी अम्बिमारी के अग्रेश जारी छिये त्या देश है भाग उसका अधिया याच्य कड्न हु मानी विहि विभाग की अंधिय केडधा न्ताइकी

eau di

27+1 MG4 (8(6))

9-3-2016

गृह (सी) विकास मजालय, भोपाल.

प्रोतेरकाठा आदेश जारी कर प्रतिनस्ती

# IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 15106/2016

WP/579/2016

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur 1263

21/2/12/14

for adm

Fixed for 08-03-2016

WP-DA-22

Respondent No. 1

To,

The State Of Madhya Pradesh, Secretary Home Affairs Department Vallabh Bhawan Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 29-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 579/ 2016

Sir/Madam,


I am directed to inform you that one **Guddilal Vishwakarma** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/579/2016** 

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **08-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR



## IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 15107/2 16

at Jabalpur

WP/579/2016

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature

for adm

Fixed for 08-03-2016

WP-DA-22

Respondent No. 2

To,

Additional Director General Of Police State Industrial Security Force And Provate Security Agency And Control Authority, Dist. Bhopal,, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 29-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 579/ 2016

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Guddilal Vishwakarma** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/579/2016** 

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **08-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Euch Copy of Petition

BS (m) PS M. SONE BOX LAND

DSP-PSA

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR

मध्यप्रदेश शासन गृह (सी-अनुभाग) विभाग मंत्रालय वल्लभ-भवन, भोपाल //आदेश//

भोपाल, दिनांक 👌 मार्च, 2016

कमांक / [1-6 2/1986/2015/दो/सी-1 राज्य शासन एतद द्वारा प्रकरण में सिविल प्रकिया संहिता 1988 का अधिनियम संख्यांक 5 के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शिवतयों को प्रयोग में लाते हुए श्री रामबाबू पाठक, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, भोपाल को (पक्षकारों के नाम) रिट याचिका कमांक 579/2016 श्री गुडडीलाल विश्वकर्मा, विश्वकर्मा सिक्यूरिटी सर्विस विरुद्ध म0प्र0 शासन में म0प्र0 राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवाचनों पर हस्ताक्षर करने और उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म0प्र0 विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त यह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिनमें ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखत कार्य करेग!:--

- प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेंगे जैसे कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता / शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुंचाने की संभावना है रिपोर्ट तैयार करेगा, यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग में से परामर्श किया जाता है तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्विष्ट की जावेगी।
- 2. समस्त संसगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- 5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से निम्नलिखित कथन / उत्तर करवायेगा।
- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेंगे :-
  - (क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की रिपोर्ट।
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - (ग) प्रस्तावित दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है/थी और जिनकी रिपोर्ट अपेक्षित की गयी है/थी।
- मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्त्तव्यों से स्वयं को सदैव अवगत कराना।
- जब कोई आदेश/म0प्र0 राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे।
- यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में, रिपोर्ट बनाने में,
   राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नहीं हो।

11. जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है तब शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देना व वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता।

12. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा और इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज

अप्रकटित / छपी हुई नहीं रह जाय।

13. प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजन अधिकारी मुकर्रर है वह जैसे ही वाद की विनिश्चय होता है। परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को भेजेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जावे और रिपोर्ट के साथ भेजी जाय।

14. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि वह इन मामलों में किन्हीं वाद के प्रकम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षित है, समय पर कार्यवाही की गयी है, अतएव वह उन आदेशों की प्रति जैसे ही पारित किया जाय, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को आपेक्षित करें।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

Ty

(श्रीदास) अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

पृ. क. / 1163/1986/2015/दो-सी-1 प्रतिलिपि :- भोपाल, दिनांक 0 र मार्च, 2016

- सचिव, म०प्र० शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग।
- पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल।

शासकीय अधिवक्ता / महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।

4. श्री रामबाबू पाठक, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, भोपाल (प्रभारी अधिकारी) की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि प्रकरण से संबंधित अभिलेख के साथ शासकीय अधिवक्ता से तत्काल संपर्क स्थापित कर मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर में वादोत्तर प्रस्तुत करें, कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करे।

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

Oly .